

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2026—फाल्गुन 7, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्र. CT-8-0002-2026-Sec-1-पांच(CT)(05) .- राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिस तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन मामलों के संबंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 01 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी, और 01 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के संबंध में सभी अपीलों उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेगी.

2. यह अधिसूचना 17 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्र. CT-8-0002-2026-Sec-1-पांच (CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0002-2026-Sec-1-पांच (CT)(05), दिनांक 26 फरवरी, 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal the 26th February 2026

No. CT-8-0002-2026-Sec-1-V(CT)(05).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 112 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 17th day of September, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH OGREY, Addl. Secy.